अनुबंध

ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त प्रश्नों का स्पष्टीकरण

क्रम सं.	प्रश्न	स्पष्टीकरण
1.	**अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर ब्याज** (i) एनपीए खातों के ऐसे मामलों में जहाँ एनपीए की तारीख से / या अन्यथा ब्याज लागू नहीं हो, वहां क्या 29 फरवरी 2008 तक के ब्याज को ऋण राहत / ऋण माफी हेतु पात्र राशि के निर्धारण के लिए हिसाब में लिया जा सकता है। (ii) दिनांक 23.05.2008 के दिशा-निर्देश में उल्लिखित पात्र राशि में लागू ब्याज शामिल है, जबकि तदोपरांत दिनांक 28.05.2008 के अनुपूरक अनुदेशों में लागू न किए गए ब्याज को शामिल न करने का उल्लेख है। कृपया स्पष्ट करें। (iii) जब कोई खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है तो ब्याज लागू नहीं होता है। तथापि, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) तक लगाए न गए ब्याज की वसूली तब तक की जा सकती है जब तक वह मूल राशि से अधिक न हो जाए। यह स्पष्ट करें कि यदि न लगाए गए ब्याज का अंश देय अंतिम तारीख को अतिदेय हो जाता है और मूल राशि से अधिक नहीं होता है तो क्या उसे पात्र राशि में शामिल किया जाना चाहिए।	एनपीए ऋणों के मामलों में, ऋण खाता को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की तारीख से ब्याज नहीं लगाया जाएगा। अतः किसी ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के बाद, किसी भी अवधि के लिए सरकार से या किसान से ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता। एनपीए ऋणों पर न लगाए गए ब्याज का दावा न तो सरकार से और न ही किसान से किया जा सकता है।
2.	(i) योजना में यह उल्लेख किया गया है कि किसी निवेश ऋण के मामले में ऐसे ऋण की किस्तें (ऐसी किस्तों पर लागू ब्याज सहित) जो अतिदेय हो गई हों, ऋण राहत के लिए पात्र राशि होंगी। कृपया स्पष्ट करें कि ऐसे खातों के मामले में जो एनपीए नहीं हैं लेकिन अनियमित हैं, क्या पात्र राशि निर्धारित करने हेतु अतिदेय किस्तों पर ब्याज, जिसमें मूल राशि तथा 31.12.07 तक ब्याज शामिल है, को 29 फरवरी 2008 तक शामिल किया जा सकता है। (ii) मीयादी ऋणों के मामले में, चूंकि संपूर्ण बकाया राशि पर ब्याज लगाया जाता है, इसलिए दावाकृत राशि में संपूर्ण अतिदेय ब्याज (केवल अतिदेय किस्तों पर ब्याज नहीं) अतिदेय किस्तों (मूलधन) को भी कवर किया जाना चाहिए।	निवेश ऋण पर संपूर्ण लागू ब्याज जो 31 दिसंबर 2007 को अतिदेय हो गई है और जो किसान के खाते में 29 फरवरी 2008 को अदत्त है, को "पात्र राशि" की गणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तथापि, योजना का पैराग्राफ 8.3 लागू होगा तथा दावा की जाने वाली ब्याज की राशि किसी भी मामले में ऋण की मूल राशि से अधिक नहीं होगी।

3.	किसानों का वित्तपोषण करने वाली लिफ्ट सिंचाई सोसाइटियां जिन्हें शाखाओं द्वारा सीधे वित्त प्रदान किया गया हो, क्या इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं ? क्या कार्यमूलक सोसाइटियां जैसे डेयरी, माछीमारों की को-आपरेटिव सोसायटी, लिफ्ट सिंचाई सोसाइटी आदि को सीसीआइ के रूप में माना जा सकता है।	योजना के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार लिफ्ट सिंचाई सोसाइटियां और कार्यमूलक सोसाइटियां को-आपरेटिव क्रेडिट संस्थाएं नहीं हैं। इन सोसाइटियों द्वारा लिए गए तथा उनके द्वारा दिए जानेवाले ऋण इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए जाते हैं।
4.	महाराष्ट्र राज्य में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का रिकार्ड शाखाओं के पास उपलब्ध होता है वहाँ गन्ने की फसल के लिए क्या प्रत्येक एसएफ/एमएफ/एआइ को प्रदान फसल कटाई और परिवहन अग्रिम इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।	यह कवर नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये ऋण अल्पावधि उत्पादन ऋण नहीं हैं।
5.	ऋण राशि (50,000/- रु. तक और 50,000/- रु. से अधिक) की गणना के लिए क्या सब्सिडी के अंतिम भाग को मूल ऋण राशि में से समायोजित किया जाए ?	"पात्र राशि" की गणना करने के प्रयोजन के लिए ऋण की गणना की मात्रा सब्सिडी के अंतिम भाग को समायोजित किए बिना मूल ऋण राशि को हिसाब में लिया जाएगा।
6.	क्या सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मामले में अतिदेय राशि की गणना के लिए सब्सिडी के अंतिम भाग को आनुमानिक आधार पर समायोजित किया जाए ?	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मामले में सब्सिडी के अंतिम भाग के समायोजन के बाद योजना के अंतर्गत पात्र अतिदेय राशि की गणना की जाएगी।
7.	क्या प्रोपराइटरों को कवर किया जाता है अर्थात् किसी प्रोपराइटरशिप संस्था के नाम में डेयरी यूनिट को दिनांक 28 मई 2008 के कार्यान्वयन परिपत्र 1/2008 की मद सं. (xiii) के अनुसार कृषि से इतर प्रयोजनों के लिए किसानों को ऋण तथा कृषि प्रयोजनों के लिए कंपनियों या अन्य विधि व्यक्तियों यथा पंजीकृत सोसायटी, न्यास, भागीदारी फर्मों आदि को ऋण योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं तथा हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) की क्या स्थिति होगी ?	योजना के अंतर्गत स्वामित्व वाली संस्थाओं को कवर नहीं किया जाता है। योजना में एचयूएफ शामिल है।
8.	(i) क्या कृषि वित्तीय योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित मोटर साइकिल / जीप / ट्रक /हार्वेस्टर/जेसीबी योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं ? (ii) कार्पोरेट केन्द्र ने भारतीय रिज़र्व बैंक से पूछा है कि क्या किसी किसान को कृषि उत्पाद के परिवहन हेतु परिवहन वाहन के वित्तपोषण हेतु दिए अग्रिम को योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है या नहीं ?	यदि हार्वेस्टर तथा कमबाइन्स का वित्तपोषण प्रत्यक्ष कृषि निवेश ऋण के रूप में किया गया हो तो उसे शामिल किया जाएगा। मोटर साइकिल, जीप, ट्रक को शामिल नहीं किया गया है।
9.	"हमारे बैंक ने राजस्थान में किसान सेवा सोसाइटियों को वित्तपोषित किया है। ये सोसाइटियां सदस्य किसानों को अल्पावधि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण के लिए वित्तपोषण	चूंकि ब्याज की आर्थिक सहायता बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है इसलिए दावा भी बैंक के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

	उपलब्ध कराती हैं तथा वे 2% ब्याज की आर्थिक सहायता के लिए पात्र हैं ।" कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 के खंड 3.4 में को - ऑपरेटिव सोसाइटियों को कवर किया गया है जो किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करती हैं तथा ब्याज की आर्थिक सहायता हेतु पात्र हैं। कृपया स्पष्ट करें कि क्या ऐसी किसान सेवा सोसाइटी हमारे बैंक के माध्यम से या सीधे नाबार्ड को दावा प्रस्तुत करेंगी ?	
10.	क्या केला और गन्ने की फसल की खेती के लिए दिए गए अल्पावधि वित्त को बागान फसल में या अन्य अल्पावधि फसलों में गिना जाएगा।	गन्ना और केले की फसल हेतु दिए गए ऋण को अल्पावधि उत्पादन ऋण के अंतर्गत कवर किया जाएगा जिसकी चुकौती अवधि 12 से 18 माह के बीच होगी।
11.	(i) क्या एआइसीएल को अदा करने के लिए फसल बीमा प्रीमियम के रूप में नामे की गई राशि को पात्र राशि की गणना करते समय ऋण राहत के लिए हिसाब में लिया जाएगा। (ii) क्या ऋण खातों में नामे की गई बीमा प्रीमियम की राशि कवरेज हेतु पात्र है। (iii) क्या पात्र ऋण खातों में नामे की गई फसल बीमा प्रीमियम राशि तथा पीएआइएस के अंतर्गत प्रीमियम राशि को विविध प्रभार के रुप में माना जाए और उसे दावे में शामिल नहीं किया जाए। (iv) क्या 29.02.2008 के बाद प्राप्त फसल बीमा दावों को पात्र दावों में समायोजित किया जाए तथा प्रतिपूर्ति के लिए केवल निवल राशि के दावे भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने हैं ।	ऋण खाते में नामे की गई बीमा प्रीमियम की राशि को "पात्र राशि" में शामिल किया जा सकता है। हां, केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करने से पूर्व प्राप्त फसल बीमा दावो ंकी राशि को समायोजित किया जाए।
12.	अलग-अलग किसानों के समूहों (उदाहरण के लिए एसएचजी) को सीधे उपलब्ध कराए गए ऋण बशर्ते बैंक उस समूह के प्रत्येक किसान को दिए गए ऋण का अलग-अलग ब्योरा रखते हों। यदि बैंकों ने अलग-अलग ब्योरा नहीं रखा हो लेकिन एसएचजी से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करके बाद में ब्योरे रखे हों तो क्या ऐसे मामलों में ऋण माफी और ऋण राहत योजना लागू हो सकती है ? एसएचजी के संबंध में प्रत्येक किसान को प्रदान कृषि ऋण का अलग-अलग ब्योरा शायद शाखाओं के पास उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि ये ऋण एसएचजी को समूह ऋण के रूप में दिया जाता है। अतः अलग-अलग ब्योरा (उधारकर्ता-वार) शाखा के	योजना के पैराग्राफ 3.1 की परिभाषा के अनुसार एसएचजी स्तर पर अलग-अलग ब्योरे रखे जाने तथा एसएचजी खाता-बहियों में यह दर्शाए जाने के बावजूद प्रत्यक्ष कृषि ऋण में अलग- अलग किसानों के एसएचजी को प्रदान ऋण को भी शामिल किया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित ऋणदात्री संस्था के अनुसार अलग-अलग ब्योरे रखे जाते हैं।

	पास उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन ऐसे ब्योरे एसएचजी के पास उपलब्ध हो सकते हैं। क्या ऐसे ऋण लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे ? एसएचजी के संबंध में प्रत्येक किसान को प्रदान कृषि ऋण का अलग-अलग ब्योरा शायद शाखाओं के पास उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि ये ऋण एसएचजी को समूह ऋण के रूप में दिया जाता है। अतः अलग-अलग ब्योरे (उधारकर्ता-वार) प्रस्तुत करने का आग्रह न किया जाए। एसएचजी के सभी अतिदेय एसएफ/एमएफ को दिए गए ऋण के अंतर्गत आएंगे तथा उन्हें योजना के लाभ प्राप्त होंगे। एसएचजी के मामले में अतिदेय प्रतिशत भी बहुत कम होता है।	
13.	(i) क्या यह योजना कृषि तथा डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्यपालन आदि से संबद्ध कार्यकलापों हेतु अल्पावधि ऋण के लिए लागू है या यह संबद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश ऋण तक ही सीमित है। (ii) क्या अकाल की अवधि के दौरान डेयरी इकाइयों के लिए चारा खरीदेन के लिए मीयादी ऋण को निवेश ऋण/कृषि संबद्ध कार्यकलापों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ? (iii) क्या मुर्गी पालन, डेयरी आदि जैसे संबद्ध कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पात्र है। (iv) क्या यह योजना डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन आदि से संबद्ध कार्यकलापों हेतु अल्पावधि ऋण के लिए लागू है या यह संबद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश ऋण तक ही सीमित है।	डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि संबद्ध कार्यकलाप माने जाते हैं। संबद्ध कार्यकलापों हेतु निवेश ऋण, दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.3 द्वारा नियंत्रित होते हैं। पैरा 3.3 (बी) यह स्पष्ट करता है कि "आस्ति अर्जन" के लिए ऋण दिया जाना चाहिए। अतः ऐसे संबद्ध कार्यकलापों के संबंध में आस्तियां अर्जित करने हेतु संबद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश ऋण को कवर किया जाएगा।
14.	ऐसी 12 सोसाइटियां हैं जो परिसमापन के विभिन्न चरणों में हैं। क्या इन सोसाइटियों के दावे भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं ?	यदि ये सोसाइटियां ऋणदात्री संस्थाएं हैं जैसे कि योजना में परिभाषित है, तो वे प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी भले ही वे परिसमापन के किसी भी चरण हों।
15.	छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जोत की भूमि है, बड़े पैमाने पर धान की खेती करने के लिए 100 से 150 किसानों की समिति बनाते हैं। तथापि, इन किसानों की कुल संख्या में से कुछ किसानों के पास ही 5 एकड़ से अधिक जोत की भूमि हो सकती है। ऐसे मामलों में योजना के अनुसार पूल में सबसे अधिक भूमिधारिता को सभी किसानों के वर्गीकरण का आधार माना जाएगा। अतः ये खाते "अन्य किसानों" के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे जिसके फलस्वरुप बड़ी संख्या में छोटे	योजना में परिभाषितानुसार ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा किसानों को प्रदान किए गए केवल प्रत्यक्ष कृषि ऋणों को कवर किया जाता है। यदि "समिति" योजना में दी गई परिभाषा के अनुसार एक ऋणदात्री संस्था नहीं है तथा प्रत्येक किसान को दिए गए ये ऋण प्रत्यक्ष कृषि ऋण नहीं हैं तो ये योजना के दायरे में नहीं आएंगे।

	किसान कृषि ऋण से छूट के लाभ से वंचित रह जाएंगे।	
16.	एलटी को-आपरेटिव संरचना द्वारा चुकौती की इएमआइ प्रणाली अपनाने से ऋण चुकौती के पहले दो या तीन वर्षों के दौरान इएमआइ में ब्याज की मात्रा अधिक होती है। इस पर बल दिए जाने पर कि ब्याज के दावे की राशि, दावा की गई मूल राशि से अधिक न होने के आग्रह के कारण, इससे कई एससीएआरडीबीएस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ब्याज के दावे की प्रतिपूर्ति की राशि ऋण की मूल राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए (मद सं. 8-3) । यह खंड को-आपरेटिव बैंकों और पीएसीएस के लिए खतरनाक साबित हो सकता हे क्योंकि जो अतिदेय ऋण हैं वे पूर्व के उन वर्षों के हैं जब सामान्य उधार दरें ऊंची थीं। अब उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति को ऋण की मूल राशि तक सीमित करने से निम्नलिखित स्थिति उभरेंगी : (i) पीएसीएस / बैंकों को उसे उधारकर्ताओं से वसूल करना होगा अन्यथा वे ऋणमुक्त प्रमाणित नहीं होंगे। अतः वे नए वित्त के लिए अपात्र रहेंगे। (ii) पीएसीएस/बैंकों को वह राशि बट्टे खाते डालनी होगी जिसे सामान्यतः को-ऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत अनुमति नहीं होती है।	ब्याज के दावे की राशि संवितरित मूलधन की मूल राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। संवितरित मूलधन से अधिक ब्याज की राशि ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा वहन की जाएगी।
17.	(i) एक किसान जिसने ओटीएस का लाभ लिया हो और 3 किस्तों में चुकाने के वचन को नहीं निभाया हो तो क्या बैंक 1 मार्च 2007 से ऋण खातों पर संविदाकृत दर पर ब्याज लगा सकते हैं ? (ii) ऋणदात्री संस्थाओं को कहा गया है कि वे 29.2.08 से 30.6.09 तक "अन्य किसान" पर ब्याज न लगाएं। क्या ऐसे किसानों से चूक होने पर इस अवधि के ब्याज की प्रतिपूर्ति बैंकों को की जाएगी ?	दिशा-निर्देशों का पैराग्राफ 8.1 स्पष्ट है। 29 फरवरी 2008 और 30 जून 2009 के बीच किसी भी अवधि के लिए पात्र राशि पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई किसान ओटीएस वायदे में चूक करता है तो वह ऋण राहत के लिए पात्र नहीं होगा तथा उस किसान के मामले में ऋणदात्री संस्था 30 जून 2009 के बाद की अवधि के लिए ब्याज लगा सकता है।
18.	(i) परंपरागत बागान और बागवानी के लिए 1 लाख से अनधिक कार्यशील पूंजीगत ऋण पात्र है। यदि यह सीमा 1 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो क्या 1 लाख से अधिक राशि को निवेश ऋण माना जाएगा जैसा 27.05.08 को आयोजित एसएसबीसी की चर्चा की गई थी। (ii) हमारे विचार से परंपरागत और गैर-परंपरागत बागबानी की फसल (फलोद्यान फसल नहीं) जैसे सब्जी, आलू, मोगरा तथा अन्य वार्षिक फसलों (18	अल्पावधि उत्पादन ऋण का संबंध योजना के पैराग्राफ 3.2 से है तथा निवेश ऋण का संबंध योजना के पैराग्राफ 3.3 से है। एक दूसरे प्रकार का ऋण भी है जिसका नाम है कार्यशील पूंजी ऋण। पैराग्राफ 3.2 परंपरागत और गैर-परंपरागत बागान तथा बागबानी के लिए कार्यशील पूंजी ऋण से संबंधित है। ऐसे मामलों में, कार्यशील पूंजी ऋण खाता अनियमित खाता बन सकता है तथा कुछ राशि 31 दिसंबर 2007 तक अतिदेय हो सकती है। कार्यशील पूंजी ऋण की वह राशि ऋण माफी या ऋण राहत के लिए पात्र हो

	माह तक) के लिए किसानों को उपलब्ध किए जा रहे अल्पावधि ऋण की उच्चतम सीमा 1 लाख रुपए होगी जैसाकि दिनांक 30 मई 2008 के परिपत्र सं.ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.73/ 05.04.02/ 2007-08 के उप खंड सं. (xiv) में निर्धारित किया गया है। ऐसी बागबानी (सब्जी फसलों) के लिए 1 लाख रुपए से अधिक राशि का ऋण एक प्रकार का वाणिज्यिक कार्यकलाप है। (iii) कृपया स्पष्ट करें कि क्या 1 लाख रुपए स्वीकृत सीमा है या बकाया ऋण राशि है। अल्पावधि उत्पादन ऋण का उपभाग करने वाले अधिकांश किसानों की सीमा 1 लाख रुपए से अधिक है। क्या ऐसे किसान राहत के लिए पात्र हैं।	सकती है, लेकिन शर्त यह है कि यह राशि 1,00,00 रुपए तक ही सीमित हो। यदि कार्यशील पूंजी ऋण 1,00,000 रुपए से अधिक है तो 1,00,000 रुपए से अधिक शेष राशि पर ऋण माफी या ऋण राहत लागू नहीं होगी।
19	I. क्या योजना के अंर्तगत पात्र ऋण जो आंशिक रू प से चुकाया गया या 29.2.08 के बाद बंद किया गया हो, पात्र है II. वे खाते (जंहा संवितरण 31 मार्च 07 से पूर्व हुआ हो, जो 31 दिसम्बर 07 को अतिदेय थे तथा 29 फरवरी 08 को जो अप्रदत रहे) जिनकी राशि 29 फरवरी 2008 के बाद पूर्णतः या आंशिक रू प से अदा की गई हो उनका क्या किया जाए ? क्या उन्हें योजना के लाभों के लिए पात्र बनाया जाए ? III. वे खाते (जहां संवितरण 31 मार्च 07 से पूर्व हुआ हो, जो 31 दिसम्बर 07 को अतिदेय थे तथा 29 फरवरी 2008 को जो अप्रदत्त रहे) जिन्हें 29 फरवरी 2008 को बट्टे खाते डाला गया हो, उनका क्या किया जाए ? क्या उन्हें योजना के लाभों के लिए पात्र बनाया जाए ?	29.2.08 के बाद प्रदत्त पात्र राशि पर स्वीकार्य ऋण माफी/ऋण राहत को 30 सितम्बर 08 तक उधारकर्ता के खाते में जमा किया जाना चाहिए । 29.2.08 को बकाया पात्र राशि ऋण माफी/ऋण राहत के लिए पात्र है । अत: 29.2.08 के बाद बट्टे खाते डाली गई कोई भी राशि जो योजना के अंतर्गत अन्यथा प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हो सकती थी, प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी ।
20.	क्या 31.3.1997 को संविवरित ऋण पात्र है क्योंकि योजना में 31.03.1997 से पूर्व कहा गया है । योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों की घोंषणा करते समय मद सं.4.3 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है : "31 मार्च 1997 से पूर्व किसी ऋणदात्री संस्था द्वारा सवितरित किसी भी प्रकार के ऋण पर इस योजना में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा ।" जीएससीबी लि. ने आगे यह पाया है कि परिसमापन के अधीन अधिकांश पीएसीएस के पास 31 मार्च 1997 से पूर्व अवधि के अतिदेय हैं । ऐसी पीएसीएस	यह योजना ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा 31.03.1997 को कारोबार की समाप्ति से पूर्व संवितरित किसी भी ऋण पर लागू नहीं होगी ।

	द्वारा आगे वित्र पोषण नहीं देने से समस्या और भी किट हो गई है । इससे ऐसी पीएसीएस के उधारकर्ताओं के लिए ऐसी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं कि - I. वे ऋण नहीं चुका पाते II. वे उसे नवीकृत नहीं कर सकते क्योंकि पीएसीएस ने परिसमापन की कार्यवाही के कारण वित्त पोषण रोक दिया है। III. उन्हें अन्य बैंकिंग संस्थाओं से अन्य ऋण नहीं मिलते क्योंकि उन्हें चूककर्ता माना जाता है । अत: यह अनुरोध किया गया है कि एडीडब्लूडीआर योजना 2008 की मद सं 4.3 को जो मार्च 1997 से ही पहले संवितरित ऋणों पर प्रतिबंध लगाती है, हटा दिया जाए तथा बजट अभिभाषण को बिना शर्त लागू किया जाए ।	
21	योजना के पैरा 4.1(ii) में यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार के विशेष पैकेजों के माध्यम से 2004 और 2006 में बैंकों द्वारा पुनर्निर्धारित ऋण, चाहे वे अतिदेय हैं या नहीं, वर्तमान योजना के अंतर्गत लाभों हेतु पात्र हैं । योजना के पैरा 4.3 में भी यह उल्लेख किया गया है कि 31.03.1997 के पूर्व संवितरित ऋण पर योजना में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा । चूंकि 2006 में प्रधानमंत्री के पैकेज के अंतर्गत ऋण की अवधि पर ध्यान दिए बिना ऋणों को पुनर्निर्धारित किया गया था, उन ऋणों का क्या किया जाए जो मूलत: 31.3.1997 के पूर्व संवितरित किए गए थे ।	वर्ष 2004 और 2006 में ऋण दात्री संस्थाओं द्वारा विशेष पैकेजों के माध्यम से तथा सामान्य स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्निर्धारित ऋणों पर 31.03.1997 की अंतिम तारीख लागू नहीं होगी ।
22.	कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण के लिए स्वर्ण (आभूषण) ऋण भी योजना के अंतर्गत पात्र माना जाए ।	हाँ, स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर कृषि प्रयोजनों के लिए स्वीकृत निवेश ऋण हेतु अल्पावधि ऋण योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं । तथापि, लागू ब्याज तदोपरांत वर्ष में ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा सामान्यत: लगाए जानेवाले ब्याज से अधिक नहीं होगा ।
23.	अनर्जक आस्तियों के खातों (अन्य किसान)के मामले में जहां मुकदमा दायर किया गया हो, क्या उनके संपूर्ण 75% हिस्से के भुगतान किए बिना मुकदमें को वापस ले लिया जाना चाहिए ।	नहीं । किसान के वचन पत्र को ध्यान में रखकर 30.6.09 के बाद मामले का स्थगन ले सकते हैं । तथापि, "अन्य किसान" अपनी पहली किस्त चुका कर नई फसल ऋण के लिए पात्र होगा ।
24.	"अन्य किसानों" के मामले में अतिदेय उत्पादन ऋण की पात्र राशि का 1/3 हिस्सा चुकाने पर वे नए उत्पादन ऋण के लिए पात्र हैं तथा अतिदेय	किसी किसान द्वारा लिए गए अल्पावधि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण को दो अलग-अलग ऋण के रु प में गिना जाना चाहिए तथा यह योजना दोनों ऋण पर

	निवेश ऋण की पात्र राशि का संपूर्ण हिस्सा चुकाने पर वे नए निवेश ऋण के लिए पात्र हैं । तथापि, यदि अन्य किसान उत्पादन ऋण का केवल 1/3 हिस्सा चुकाता है लेकिन निवेश ऋण में अपना हिस्सा नहीं चुकाता है, तो क्या वह नए उत्पादन ऋण के लिए पात्र होगा ।	अलग-अलग लागू होगी । अत: किसान नए उत्पादन ऋण के लिए पात्र होंगे ।
25.	योजना की मद 4.1(क) और (ख) में यह उल्लेख किया गया है कि लाभों में लागू ब्याज शामिल है । योजना की मद 8 के अनुसार ऋणदात्री संस्थाओं को कहा गया कि वे 29.2.2008 के बाद पात्र राशियों पर ब्याज न लगाएं। दिनांक 28 मई 2008 के कार्यान्वयन परिपत्र 1 की मद सं.(ix) ऋणदात्री संस्थाओ को न लगाए गए ब्याज का दावा करने से रोकती है । अब बैंक अधिकांशत: सितम्बर और मार्च में अर्ध-वार्षिक आधार पर ब्याज लगाते हैं । अत: क्या बैंक अक्तूबर 2007 से 29.2.08 तक मानक खातों में पात्र राशियों पर अब तक लगाया न गया ब्याज लगाने और दावा प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं ।	मानक खातों में ऋणदात्री संस्थाएं अक्तूबर 07 से 29 फरवरी 2008 तक पात्र राशि पर ब्याज लगाने दावा/करने की पात्र हैं । तथापि, अनर्जक आस्तियों के खातों में इन खातो को अनर्जक आस्ति के रु प में वर्गीकृत करने की तारीख से कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा ।
26	i) योजना के पैरा 6 में यह उल्लेख किया गया है कि अनुबंध -I में सूचीबद्ध 237 राजस्व जिलों के मामलों में "अन्य किसानों" को 'पात्र राशि' की 25 प्रतिशत की ओटीएस छूट या 20,000/- रूपये जो भी अधिक हो, दिया जाएगा बशर्ते किसान 'पात्र राशि' की शेष राशि का भुगतान करें । ii) उन मामलों में क्या किया जाए जहां बकाया राशि 20,000/- रूपए से कम हो ? iii) यदि 'अन्य किसानों' के लिए पात्र राशि का 25% प्रति खाता/सुविधा 20,000/- रूपए से कम हो तो प्रत्येक खाते/सुविधा की वास्तविक राशि हिसाब में ली जाएगी ताकि योजना से कोई मुनाफा न कमाया जा सके । दावे के लिए "अन्य किसान" के प्रत्येक खाते को अलग-अलग माना जाएगा ।	योजना के पैराग्राफ 6.1 का परंतुक अनुबंध -I के जिलों पर लागू हैं । ऋण राहत 'पात्र राशि' का 25 प्रतिशत या 20,000/- रुपए, जो भी अधिक हो, होगी। तथापि, यदि 'पात्र राशि' समझिए 12,000/- रुपए है और पात्र राशि का 25% 3,000 रूपए होगा तो ऋण राहत 12,000 रूपए होगी । यह स्पष्ट है कि ऋण राहत की राशि 'पात्र राशि' से अधिक नहीं हो सकती ।
27	i) दिनांक 28 मई 2008 के कार्यान्वयन परिपत्र 1/2008 की मद सं.(ix) (बी) के अनुसार । अप्रैल 2006 के बाद संवितरित फसल ऋणों पर ब्याज की गणना उस दर पर की जाएगी जो प्रतिवर्ष 7% से अधिक न हो ।	सभी ऋण दात्री संस्थाओं के लिए प्रतिवर्ष 7% की उच्चतम सीमा की दर से ब्याज केवल 3 लाख रूपए तक फसल ऋणों पर लागू होगी । अन्य ऋणों के लिए, बैंकिंग संस्थाओं द्वारा लगाई ब्याज दर लागू होगी ।

		फसल ऋणों पर प्रतिवर्ष 7% से अधिक ब्याज ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा वहन किया जाएगा । तथापि, किसानों को वाजिब लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए यूनियन वित्त मंत्री ने 2006-07 के लिए अपने बजट अभिभाषण में यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के निर्णय की घोषणा की थी कि किसान को अल्पावधि ऋण प्रतिवर्ष 7% की ब्याज दर से प्राप्त होगा जिसकी अधिकतम सीमा मूल राशि पर 3,00,000 रूपए होगी । तदनुसार, केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और कोऑपरेटिव संस्थाएं इसे तब से कार्यान्वित कर रही हैं । उपर्युक्त योजना निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं थी। अत: वर्तमान योजना में, क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और कोऑपरेटिवों को 3 लाख रूपए से अधिक राशि के मामलों में ब्याज का भार वहन करना होगा और क्या निजी क्षेत्र के बैंको को 7% से अधिक संपूर्ण ब्याज के भार को वहन करना होगा ?	
	ii)	स्पष्ट करें कि क्या 1 अप्रैल 2006 के बाद संवितरित फसल ऋणों पर 7% तक ब्याज का दावा करने हेतु योजना के अनुदेश सभी फसल ऋणों, चाहे जो भी सीमा हो, पर लागू होगें । चूंकि बैंकों द्वारा लागू दरों पर ब्याज लगाया जा चुका है और बहियां में दर्ज किया जा चुका है, इन अनुदेशों में किसी भी प्रकार का संशोधन करने से दर्ज/लागू किए गए ब्याज को प्रत्यावर्तित करना होगा तथा उससे लेखाकरण की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। हमारा सुझाव हैं कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार 7% तक ब्याज लगाने की शर्त 3 लाख रूपए तक की सीमा वाले फसल ऋणों पर लागू होनी चाहिए ।	

28	यदि किसी किसान के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन हो और उसने 10 एकड़ जमीन पट्टे पर ली हो तो उसे छोटा किसान या 'अन्य' किसान माना जाना चाहिए ? दूसरे शब्दों में, हिसाब में लेने के लिए इसे भूमि स्वामित्व माना जाए या खेती का क्षेत्र माना जाए ?	पैराग्राफ 3.5, 3,6 और 3.7 में किसानो की स्थिति अर्थात सीमांत या छोटा या अन्य किसान दर्शाई गई है । किसान की यह स्थिति स्वामी या किराएदार या बंटाईदार के रुप में किसान के कब्जे में कृषि भूमि के आधार पर निर्धारित की जाती है । अत: किसान सीमांत, है या छोटा है या अन्य किसान है इसका निर्धारण करने हेतु स्वामी या किराएदार या बंटाईदार के रुप में किसान के कब्जे में संपूर्ण भूमि को हिसाब में लिया जाना चाहिए ।
29	क्या 29.02.08 के बाद प्राप्त फसल बीमा दावों को पात्र दावों में समायोजित किया जाए और प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को केवल निवल राशि के दावे प्रस्तुत किए जाएं ?	हां, केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करने से पूर्व प्राप्त फसल बीमा दावों का समायोजन किया जाना चाहिए ।
30	चूंकि ओटीएस के अंतर्गत पहली किस्त का भुगतान करने पर 'अन्य किसानों' को सितंबर 2008 तक नए फसल ऋण प्रदान किए जाने चाहिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों को ऐसे खातों को मानक आस्तियां (सितंबर 2008 को खाता अतिदेय होने के बावजूद) के रुप में वर्गीकृत करने की अनुमति दे सकता है । अन्यथा, यह अतिदेय उर्धारकर्ताओं को वित्तपोषित करने के बराबर होगा । साथही, ऐसे किसान जिन्हें नए ऋण दिए गए हैं, वे जून 2009 तक ओटीएस के अंतर्गत शेष राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो ऐसे मामलों में आस्ति वर्गीकरण के मुद्दे को और अधिक स्पष्ट किया जाए ।	सरकार का इरादा यह है कि एक बार जब ऋण माफी या ऋण राहत प्रदान की जाती है तो 30 जून 2008 से खाते की मानक खाता माना जाना चाहिए । सरकार ने वचन दिया है कि योजना के अनुसार माफ की गई या राहत प्राप्त ऋण की राशि की प्रतिपूर्ति बैंकों को की जाएगी । अत: वर्गीकरण का मामला भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथासमय सुलझाया जाएगा ।
31	कार्पोरेट केन्द्र ने भी भारतीय रिज़र्व बैंक से कहा है कि एग्री क्लिनिक और कृषि कारोबार केन्द्र जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम माना जाता है, को भी योजना की परिधि में लाया जाए । इस मामले पर भारतीय रिज़र्व बैंक के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है ।	चूंकि ये ऋण किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिए सीधे नहीं दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता ।
32	i) क्या बट्टे खातों के मामलों में फाइल किए गए मामले/ आरसी को वापस लिया जाए । यदि हॉं, तो राजस्व प्राधिकारियों को देय वसूली प्रभारों का भुगतान कौन करेगा ? ii) राजस्व प्रधिकारी वसूली प्रभार मांग सकते हैं अत: हमें लगता है कि बट्टे खाते डालने के मामलों में ऐसे प्रभारों की माफी के लिए सरकारी प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाने चाहिए तथा बट्टे खातों से इतर मामलों में बैंको को ऐसे प्रभारों को दावाकृत पात्र राशि में शामिल करने की अनुमति दीं जाए	'पात्र राशि' की गणना में किसी प्रकार के प्रभारों को शामिल न किया जाए । योजना का पैराग्राफ 8 स्पष्ट है । इस पर अनुपूरक अनुदेशों में भी स्थिति स्पष्ट की गई है । ऋणदात्री संस्थाएं प्रभारों की वापसी के लिए, यदि ऐसी वापसी के लिए प्रावधान हो तो राजस्व प्राधिकारियों को आवेदन कर सकते है ।

33	बागान, मुर्गी पालन और डेयरी अग्रिमों में शेड निमार्ण हेतु वित्तपोषण को मिश्रित योजना में शामिल किया गया है । इन मदों के लिए कोई अलग चुकौती नहीं है, अत: पात्र राशि की गणना करते समय इसे विभाजित/अलग नहीं कर सकते । कृपया स्पष्ट करें कि क्या उपर्युक्त ऋणों को दिनांक 30 मई 2008 के ग्राआऋवि.सं. पीएलएफएस. बीसी.73/05.04.02/ 2007-08 के खंड (xii) से छूट दी जा सकती है ।	'पात्र राशि' की गणना, शेड, फार्म हाउस, फेंसिंग आदि का निमार्ण जिन्हें योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है के लिए दिए गए ऋण की राशि को छोड़कर की जाएगी ।
34	i) क्या कार्यान्वयन परिपत्र 1/2008 के पैरा 2(ix)(ए) में उल्लिखित सभी मदें मिलकर मूल राशि या केवल मूल राशि के उस भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस पर ब्याज लगाया गया है, दूसरी ओर लगाया गया और उपचित ब्याज/न लगाया गया ब्याज (जो देय है) मूल राशि (अन्य प्रभारों को छोड़कर) से अधिक नहीं होना चाहिए । ii) क्या न लगाए गए ब्याज के भाग को 'पात्र राशि' में शामिल किया जाए, यदि देय (अंतिम तारीख को अतिदेय) होने की शर्त को पूरा करता हो तथा मूल राशि से अधिक न हो ।	योजना का पैराग्राफ 4 'पात्र राशि' क्या होगी यह परिभाषित करता है । पैराग्राफ 4.1(बी) के संबंध में उत्पन्न एक कठिनाई को आज एक आदेश जारी करके दूर कर दिया गया है अत: केवल मूल और लागू होने वाला ब्याज ही 'पात्र राशि' की गणना में शामिल होने के पात्र होंगें । 'पात्र राशि' के आधार पर ऋण माफी या ऋण राहत की राशि निर्धारित की जाएगी । माफी या राहत प्राप्त राशि का दावा केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति के रुप में किया जा सकता है बशर्ते किसी भी मामले में दावाकृत राशि ऋण की मूल राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए । कार्यान्वयन परिपत्र के पैरा 2(ix)(ए) में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि निम्नलिखित के लिए ऋणदात्री संस्थाएं न तो केन्द्र सरकार से दावा करेगी और न ही किसान से वसूल करेगी (i)मूल राशि से अधिक ब्याज (ii)न लगाया गया ब्याज (iii) दंडस्वरूप ब्याज (iv) विधिक प्रभार (v)निरीक्षण प्रभार तथा (vi) विविध प्रभार आदि । ऐसे सभी ब्याज /प्रभार ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा वहन किए जाएंगे ।